प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/9/25 अप्रार्थी नं. 3 [illegible]	वकुलाए उप०। अप्रार्थी सं. 3 की मृत्यु होना अंकित है। प्रा०पत्र कायम मुका० पेश हो। प्रा.पत्र जवाब उल जवाब पर वकील अप्रार्थी ने ई.बी. बहस करने के निवेदन पर बहस प्रा० पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते पेश करने प्रा०पत्र कायम मुका० एवं आदेश प्रा०पत्र जवाब उल जवाब पेश करने बाबत दि. 10/10/2025 को पेश हो। [initials]
10/10/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अभिभावकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः प्रन्य कार्य में व्यस्त है। अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13/11/25 को पेश हो [initials]
13/11/25.	वकुलाए उप०। अप्रार्थी सं० 3 के कायम मुकाम पेश करने हेतु अवसर चाहने पर अंतिम अवसर दिया। पत्रावली वास्ते पेश करने कायम मुकाम हेतु दि० 11/12/25 को पेश हो। [initials]
11/12/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अभिभावकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः प्रन्य कार्य में व्यस्त है। अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23/12/25 को पेश हो [initials]
23/12/25	वकुलाए उप०। प्रा०पत्र कायम मुका० अप्रार्थी सं. 3 पर बहस सुनी गई। प्रा०पत्र प्रार्थी बाबत कायम मुकामान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रा०पत्र कायम मुकामान स्वीकार करने पर संशोधित शीर्षक पेश किया गया। प्रा०पत्र जवाब उल जवाब का अवलोकन करने पर हम निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी को जवाब प्रा०पत्र का जवाब उल जवाब प्रस्तुत करने का क्यो

प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
अवसर चाहिए। मूल वाद में प्रस्तुत तथ्य एवं जवाब दावा में अंकित तथ्यों के आधार पर साक्ष्य दस्तावेजों के गुणावगुण पर निर्णय पारित होना है। प्रा०पत्र पर जवाब उल जवाब प्रस्तुत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अत: प्रा०पत्र जवाब उल जवाब प्रस्तुत करने बाबत को अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। बहस प्रा०पत्र O/39 R 1,2 सुनी गई। प्रा०पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर पक्षकारान को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	